

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.24(01)2015-16/तक./प्रमुखसं/ 903-27 दिनांक 07.09.2015
निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.), राजस्थान, जयपुर।
अति० मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर।
परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-II, राज., जयपुर।
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण/एनटीएफपी, राज०, जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धन/विभागीय कार्य/बनास नदी परियोजना, जयपुर/
परियोजनाएँ, भू-संरक्षण, वन विभाग, कोटा।
वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर/सरिस्का मु० अलवर।
उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज., जयपुर।

विषय:-आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय-व्यय अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए संशोधित अनुमान (IFMS) विभाग में उपलब्ध वाहनों की सूची (कार्य-कलाप/कार्यालय वाहन) (प्रपत्र-4-अ में) अद्यतन (UPDATE) करने के संबंध में।

प्रसंग:-वित्त विभाग का बजट परिपत्र क्रमांक एफ. 4(38)वित्त-1(1)आ.व्यय/2015 दिनांक 31.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक बजट परिपत्र (वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार विभाग में उपलब्ध वाहनों की सूची (प्रपत्र-4-अ में) ऑनलाइन करते हुए हॉर्ड-कापी में आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयों की संकलित सूचनाएँ (IFMS में जिस लेखामद में दर्ज हो) तत्काल भिजवावें। अधीनस्थ कार्यालयों से सीधे इस कार्यालय को प्राप्त सूचनाएँ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होंगी।

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार विभाग में उपलब्ध वाहनों की सूची (प्रपत्र-4 (अ) की संकलित सूचना इस कार्यालय द्वारा बी.एफ.सी. में व्यक्तिशः निर्धारित अवधि में प्रस्तुत की जानी है। अतः अनुरोध है कि वांछित सूचना (प्रपत्र-4-अ में) ऑनलाइन (IFMS) करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता के Fax No. 141-2713758 पर दिनांक 20.09.2015 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उक्तानुसार

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह),

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र-4 (अ)

विभाग में उपलब्ध वाहनों की सूची

विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ तृतीय शीर्ष/उप-शीर्ष/ ग्रुप शीर्ष	आयोजना भिन्न / आयोजना / राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	कार्यालय का नाम	पद नाम	कार्य-कलाप/कार्यालय वाहन		
					वाहन का प्रकार - जीप/ कार / अन्य	वाहनों का विवरण रजिस्ट्रेशन संख्या	क्रय का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट:

- (1) 'कार्यालय वाहन' व 'कार्य-कलाप वाहन' की दोनों श्रेणियों में यही प्रपत्र भरा जाना है। अतः कार्यालय वाहन व कार्य-कलाप वाहन का क्रमशः चयन कर इस प्रपत्र में सूचना अंकित करें।
- (2) अगर पूल का वाहन है तो पदनाम (कॉलम 5) में विभागाध्यक्ष (HOD) का पदनाम सिलेक्ट करें। कार्यकलाप वाहनों की श्रेणी में अधिकारी के पदनाम के भरने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम-2 में बजट शीर्ष अंकित करना होगा। कॉलम संख्या 3, 4 व 5 में चयन किया जाना है। शेष कॉलम में सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वतः ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभागों के द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।
- (4) कॉलम संख्या 3 में 'आयोजना' का चयन करने पर 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' से संबंधित विवरण भी निर्धारित कॉलम में सम्मिलित किया जावे। साथ ही, कॉलम 3 में 'राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता' का चयन करने पर इन संख्याओं को पृथक से भी दर्शाया जावे।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की भरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष